जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 24-03-2021**

आज दिनांक 24.03.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 90 / 2021 धारा 363 / 366 / 120 (बी) भादवि में वांछित अभियुक्त राकेश उर्फ मजनू पुत्र हीरालाल निवासी पाली थाना सहजनवा जनपद जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 19.03.2021 को वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबन्ध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, महिला संबन्धी अपराध की घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना बखिरा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 24.03.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 आनन्द प्रकाश, कां0 आशीष यादव।

छेड़खानी व मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 97 / 2021 धारा धारा 354 / 323 / 504 भादवि व 7/ 8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त विजय प्रताप सिंह पुत्र राम सिंह निवासी बढ़या बाबू थाना बखिरा जनपद सतंकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 22.03.2021 को वादिनी की नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ लिया था मना करने पर पारना पीटना व गाली गुप्ता दिया गया, जिसके संबन्ध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला सम्बन्धित अपराध का अभियोग की गंभीरता को देखते हुए थाना बखिरा

पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए आज दिनांक 24.03.2021 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 पवन कुमार शुक्ल, कां0 मनीष यादव, कां0 धमेन्द्र यादव।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1486 द्वारा मारपीट मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्तपाल – पीआरवी 1486 को थाना कोतवाली दुधारा क्षेत्रान्तर्गत चाई खुर्द से इवेन्ट संख्या 01460 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 07 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एंबुलेंस अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के संबंध मे अवगत कराते हुए प्रतिवादी को थाना । थाना दुधारा को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जाना बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0 आ0 उपेन्द्र सिंह, मु0आ0 दिनेश प्रसाद, हो0चा0 बृजेश यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 95 वाहनो से 73500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 24.03.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 95 वाहनो से 73500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।